

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0-09/बजट-11-44/2022 - 571(9)क

दिनांक:- 14/11/22

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पलामू।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम अंतर्गत मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू परिसर अंतर्गत नवनिर्मित 100 बेड अस्पताल हेतु 500 KVA ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन के लिए कुल 9,47,666/- (नौ लाख सैंतालीस हजार छह सौ छियासठ) रुपये मात्र का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-549(9)ब दिनांक-02.11.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू के पत्रांक-816 दिनांक-16.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये माँग के आलोक में संस्थान के परिसर अंतर्गत नवनिर्मित 100 बेड अस्पताल हेतु 500 KVA ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन के लिए कुल 9,47,666/- (नौ लाख सैंतालीस हजार छह सौ छियासठ) रुपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपयुक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।
3. योजना पर होने वाले व्यय का विकलन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-45-मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पतालों-07-अन्य व्यय-54-एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड 20एस 42100111045000754) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 में उपबंधित राशि से होगा।
4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू होंगे जो राशि का निकासी कर उप लेखा निदेशक, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, मेदिनीनगर के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
5. संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
6. राशि की निकासी पलामू कोषागार से की जाएगी।
7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन की जाएगी।
8. बिहार वित्तीय नियमवाली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमवाली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।



(वीरेन्द्र कुमार राम)
अवर सचिव।




(आलोक त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।


10.11.22

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

9. राशि का व्यय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूरी पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के साथ किया जायेगा।
10. किसी भी परिस्थिति में दायित्व उत्पन्न नहीं किया जाएगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक ऑन-लाईन विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन



(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या- 09/बजट-11-44/2022 - 571(9)'अ' दिनांक:- 14/11/22
प्रतिलिपि: महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग / संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदा० / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(वीरेन्द्र कुमार राम)
अवर सचिव।



(आलोक त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।



(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चाहू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 9/B-11-44/2022/571(9)B

दिनांक - 16-Nov-2022

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|-----------|--|---|
| 1 | S 20 42100111045000754 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पताले - आधार भूत संरचना 00-NA 07 - अन्य व्यय State Scheme | 61687 | PLMMED169 DR.DILIP KUKMAR SINGH SUPTT.PLM.MEDICAL COLL.HOS.PLM 54 - एकमशत प्रावधान | 947,666.00 रुपये नौ लाख सैतालीस हजार छः सौ छछट |
| | State Scheme : | | MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) | |
| | Central Scheme : | | NA | |

योग:

रुपये नौ लाख सैतालीस हजार छः सौ छछट

947,666.00

क्रमिक योग:


(ARUN KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मांग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 -
अस्पताल तथा औषधालय & 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पताले - आधार भूत संरचना

| SI No | TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 20S42100111045000754 | Total |
|-------|----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | एकमुश्त प्रावधान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Palamu | PLMMED169 | Dr. Dilip Kukmar Singh | Suptt. Plm. Medical. Coll. Hos. Plm | ₹9,47,666.00 (61687) | ₹9,47,666.00 |
| | | | | | | |

कुल आवंटित राशि :- ₹9,47,666.00 (नौ लाख सैतालीस हजार छः सौ छछड़) रूपये मात्र ।
टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY